

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2018 / 508

दिनांक :-04.04.2018


- | प्रार्थी | बनाम | विप्रार्थी गण |
|---|--|---------------|
| 1. तगाराम पुत्र केसराराम
जाति जाट निवासी गंगावास
कोसरिया
तहसील बायतु | 1. गोमाराम पुत्र खरथाराम 7 जाति जाट
निवासी गंगावास कोसरिया
तहसील बायतु | |

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 111,128 राजस्थान भू रा अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 87 / 18

आदेश

मौजा गंगावास पटवार हल्का कोसरिया तहसील बायतु के खेत खसरा नं. 2 रकबा 17.17 बीघा की भूमि के चारों तरफ नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार बायतु को कमिश्नर को नियुक्त किया जाता है कि वे स्वयं या अपने अधिनस्त भू.अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी का सीमाज्ञान कर प्रार्थी के खातेदारी खेत की पक्की नेखम बन्दी मौके पर शुल्क जमा कर करे तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी बायतु से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांक :-04.04.2018



क्रमांक / वाद / 2018 / 509 to 513

प्रतिलिपी :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी कोसरिया को भेज कर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकर्ड उपस्थित नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावे।
3. प्रार्थी श्री तगाराम वगैरा
4. विप्रार्थी श्री गोमाराम वगैरा
5. थानाधिकारी पुलिस थाना बायतु


सहायक कमिश्नर (SDO)
उपखण्ड अधिकारी बायतु